

राजस्थान लोक अदालत केंद्र वर्ष 2014

राजस्थान लोक अदालत अधिकारी, सुमेरपुर जिला धारी (राजस्थान)
राजस्थान लोक अदालत केंद्र अदालत सेवा केंद्र - सुमेरपुर
राजस्थान लोक अदालत - की अधीनस्थ न्यायालय, S.A.S

सुट्टीकाय अधीन सं. 28 / 2014
 दिनांक दिनांक 28.08.2014
 दिनांक दिनांक 28.08.2014

<p>अपीलात-</p> <p>1-श्रीमती सत्योबाई पुत्री लक्ष्मीबाई</p> <p>2-श्री सुभाष विठ्ठली बाबुबा</p> <p>3-श्रीमती सुमेरपुर</p>	<p>प्रकार</p>	<p>रेफरेंस नं-</p> <p>1-श्रीमती सुभाष लक्ष्मीबाई</p> <p>2-श्री सुभाष लक्ष्मीबाई</p> <p>3-श्री सुभाष लक्ष्मीबाई</p> <p>4-श्री सुभाष लक्ष्मीबाई</p>
--	----------------------	--



सुट्टीकाय अधीन अध्यादेश धारा 70 R.L.A. Act, 1956

सिद्ध सुट्टीकाय सं. 213 दिनांक 28.08.2014 की तहत, इस अध्यादेश अधीनस्थ
 द्वारा स्वीकृत किया गया है की निम्न कानून लागू

- (आर ई ए) -

दिनांक 28.08.2014

(1) कि राजस्थान लोक अदालत की राजस्थान लोक अदालत केंद्र अदालत सेवा केंद्र सुमेरपुर में स्वीकृत आज यह सुट्टी : राजस्थान लोक अदालत अधिनियम : राजस्थान लोक अदालत की शक्ति में अपने अध्यादेश की शक्ति की शक्ति, साथ ही राजस्थान लोक अदालत व अधिनियम द्वारा : राजस्थान लोक अदालत की शक्ति-विशेष अधिकार अनुसूची अधिनियम द्वारा यह सुट्टीकाय अधीन अधिनियम के तहत रेफरेंस नं. के सिद्ध द्वारा अध्यादेश की है कि राजस्थान लोक अदालत सुमेरपुर के सिद्ध सुट्टी सुट्टी द्वारा अध्यादेश नं. 752 से 758 और 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

(2) कि राजस्थान लोक अदालत की राजस्थान लोक अदालत केंद्र अदालत सेवा केंद्र सुमेरपुर में स्वीकृत आज यह सुट्टी : राजस्थान लोक अदालत अधिनियम : राजस्थान लोक अदालत की शक्ति में अपने अध्यादेश की शक्ति की शक्ति, साथ ही राजस्थान लोक अदालत व अधिनियम द्वारा : राजस्थान लोक अदालत की शक्ति-विशेष अधिकार अनुसूची अधिनियम द्वारा यह सुट्टीकाय अधीन अधिनियम के तहत रेफरेंस नं. के सिद्ध द्वारा अध्यादेश की है कि राजस्थान लोक अदालत सुमेरपुर के सिद्ध सुट्टी सुट्टी द्वारा अध्यादेश नं. 752 से 758 और 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

अधीनस्थ अधिकारी
 सुमेरपुर, जिला धारी (राज.)

पेज नं.02 राजारव लोक अदालत केम्प वर्ग-2016

अतः उल्लेखित विवेचन तथ्यों के परिणामतः अपीलान्त की यह अपील विरुद्ध रेस्पोजेन्ट्स के प्रश्नगत अपील देरिना पेश करने के कारण को डिले कन्डोन करते हुए सरहद मौजा भाचुन्दा, तहसील सुमेरपुर में स्थित कृषि भूमि हाल खसरा नं. 762 से 759, 977, 980, 1212, 1213, 1217, 1568 से 1573, 1675, 1689, 1681, 1682, 1693, 1694, 1801 से 1804, 1809, 1810, 1812 कुल रकबा 24.73 हेक्टर के बारे में अपीलाधीन म्युटेशन सं. 319 दिनांक 28.08.1998 प्रथमतः विधिमान्य प्रतीत नहीं होने से इसे तत्काल प्रभाव से निरस्त करने का आदेश पारित किया जाता है, साथ ही यह प्रकरण तहसीलदार सुमेरपुर को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि वे संबंधित पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर देकर प्रश्नगत म्युटेशन के बारे में विधिरामत पुनः निस्तारण की कार्यवाही सुनिश्चित करें। आदेश की सत्यापित प्रति तहसीलदार सुमेरपुर को पालनार्थ भेजी जावे।

आदेश बरोज आज दिनांक 08.06.2016 को राजारव लोक अदालत केम्प अटल सेवा केन्द्र-अनोपपुरा में सुनाया गया।



उत्तराखण्ड अधिकाारी
रामसुमेरपुर(पाली)(राज)